**भारत सरकार**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**
**पशुपालन और डेयरी विभाग**
**लोकसभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 2845**
**दिनांक 18 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न**

**तमिलनाडु में राष्ट्रीय पशुधन मिशन**

**2845. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) का ब्यौरा क्या है;
(ख) तमिलनाडु राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत परियोजनाओं और लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ग) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए किया गया कुल वित्तीय आवंटन कितना है और तमिलनाडु में पशुधन स्वास्थ्य, उत्पादकता और प्रजनन में सुधार के लिए अब तक उपयोग की गयी कुल राशि कितनी है;
(घ) तमिलनाडु में एनएलएम के अंतर्गत पशुपालन, टीकाकरण और चारा विकास सहित बेहतर पशुधन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) तमिलनाडु में एनएलएम से लाभान्वित होने वाले पशुपालकों की संख्या कितनी है और उक्त के संबंध मे दिये गए समर्थन जैसे वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन का ब्यौरा क्या है; और
(च) तमिलनाडु में राष्ट्रीय पशुधन मिशन को बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाएं, विशेषकर पशुधन बीमा, प्रजनन कार्यक्रमों के कवरेज का विस्तार करने और चारे और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करने के संदर्भ में क्या हैं?

**उत्तर**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**
**(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)**

(क) पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पशुधन मिशन (वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित) के पुनर्संरेखण के बाद वर्ष 2021-22 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित वर्तमान राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) में भेड़, बकरी, सूअर, पोल्ट्री और चारा विकास के लिए उद्यमशीलता और आनुवंशिक उन्नयन कार्यकलाप शामिल हैं। घोड़े, ऊँट और गधों की देशी नस्लों के संरक्षण और आनुवंशिक सुधार को शामिल करके इसके दायरे का विस्तार करने के लिए फरवरी 2024 में मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ इस योजना को फिर से पुनर्संरेखित किया गया। एनएलएम के तीन उप-मिशन हैं:

1. पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन
2. पशु आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन
3. नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन

प्रत्येक उप-मिशन में विशिष्ट कार्यकलाप शामिल हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

**1. पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन**

**(i) नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना:** केंद्र सरकार ग्रामीण पोल्ट्री, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं (भेड़ और बकरी), सूअर पालन, घोड़ा, ऊंट और गधा फार्म स्थापित करने के लिए व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान सहकारी समितियों (एफसीओ), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को **50 लाख रुपए** तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है।

**(ii) भेड़ और बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार**

- क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशालाओं और वीर्य बैंकों की स्थापना: भेड़ और बकरी वीर्य प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 400 लाख रुपए तक की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

- राज्य वीर्य बैंकों की स्थापना: बकरी के वीर्य के भंडारण और वितरण के लिए मौजूदा गोपशु और भैंस वीर्य बैंकों को मजबूत करने के लिए 10 लाख रुपए तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।
- मौजूदा गोपशु और भैंस एआई केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान (एआई) का प्रचार: बकरियों में एआई के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु प्रति केंद्र 7,000 रुपए तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।
- विदेशी भेड़ और बकरी जर्मप्लाज्म का आयात: उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यकता-आधारित आयात हेतु राज्य पशुपालन विभागों को सहायता प्रदान की जाती है।

**(iii) सूअर की नस्लों में आनुवंशिक सुधार**

- सूअर वीर्य संग्रह और प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं की स्थापना: पशुपालन विभाग को 150 लाख रुपए तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।
- विदेशी सूअर जर्मप्लाज्म का आयात: केंद्र सरकार नॉन डिस्क्रिप्ट सूअर नस्लों में सुधार करने और गुणवत्ता वाले वर्णसंकरित पशुओं का उत्पादन करने के लिए आवश्यकता-आधारित आयात हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करती है।

**(iv) घोड़े, गधे, खच्चर और ऊँटों का आनुवंशिक सुधार**

- क्षेत्रीय वीर्य स्टेशन: देशी घोड़ों, गधों, खच्चरों और ऊँटों के लिए वीर्य स्टेशन स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों को 10 करोड़ रूपये तक की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
- न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म: घोड़े, गधे और ऊँट की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए 10 करोड़ रूपये तक की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
- नस्ल पंजीकरण समितियाँ: देशी नस्लों को पंजीकृत करने और रिकॉर्ड, ट्रेसबिलिटी और संबंधित कार्यकलापों को बनाए रखने के लिए समितियों की स्थापना हेतु 100% सहायता प्रदान की जाती है।

**2. पशु आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन:** गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन, चारा प्रसंस्करण में उद्यमशीलता संबंधी उपक्रमों और अवक्रमित भूमि पर चारा खेती के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

- चारा बीज उत्पादन: प्रजनक बीज (250 रुपए/किग्रा), आधार बीज (150 रुपए/किग्रा) और प्रमाणित बीज (100 रुपए/किग्रा) के लिए आईसीएआर, एनएससी, इफको, कृभकों, नेफेड, एसएवी, एचआईएल तथा राज्य सरकार की एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- उद्यमशीलता सहायता: घास (हे), साइलेज, कुल मिश्रित राशन (टीएमआर), चारा ब्लॉक इकाइयां और बीज प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना के लिए 50 लाख रुपए तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी।
- बंजर भूमि और वन भूमि पर चारा उत्पादन: अवक्रमित चारा खेती को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और कृषि विभागों, दुग्ध सहकारी समितियों, परिसंघों और गौशालाओं को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

**3.नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन**

**(i) अनुसंधान और विकास तथा नवाचार:** भेड़, बकरी, पोल्ट्री, सूअर और चारा क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए आईसीएआर संस्थानों, केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वसनीय संस्थानों को 100% सहायता प्रदान की जाती है। इन क्षेत्रों में समस्या-समाधान के लिए **ग्रैंड चैलेंज इनिशिएटिव** के माध्यम से स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित किया जाता है।

**(ii) विस्तार कार्यकलाप:** सेमिनार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पशुपालक समूह/प्रजनक संघ, पशुधन मेला जैसे प्रचार कार्यक्रमों सहित **आईईसी कार्यकलापों** के माध्यम से योजना के प्रचार और जागरूकता के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

**(iii) पशुधन बीमा कार्यक्रम:** लाभार्थी **प्रीमियम का 15%** योगदान करते हैं, जबकि शेष **85% केंद्र और राज्य सरकारों** द्वारा साझा किया जाता है (निधियन पैटर्न: पर्वतीय/उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए **60:40** और **90:10**), संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, 100% सब्सिडी प्रदान की जाती है। भेड़/बकरियों के लिए **सब्सिडी**

**प्रति परिवार 10 गोपशु इकाइयों तक सीमित है**; सूअर/खरगोशों के लिए **प्रति परिवार 5 गोपशु इकाइयाँ** (1 पशु इकाई = 10 भेड़/बकरी/सूअर/खरगोश)

विस्तृत दिशानिर्देश पशुपालन और डेयरी विभाग की वेबसाइट www.dahd.gov.in और www.nlm.udyamimitra.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) तमिलनाडु के पशुपालन विभाग से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएलएम-ईडीपी) के तहत 93.17 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाले 142 आवेदनों को अनुमोदन दिया गया। इसके कार्यान्वयन के बाद से, पशुधन बीमा योजना से 8,68,744 किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ग) पुनर्संरेखित राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के लिए मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित कुल परिव्यय 2,300 करोड़ रुपए है। इसमें से वर्ष 2021-22 से संशोधित अनुमान (आरई) के अनुसार 1,498 रुपए करोड़ आवंटित किए गए थे। आज तक, 1,283.95 करोड़ रुपए (36.25 करोड़ रुपए की मूल संस्वीकृति सहित) खर्च किए गए हैं। इसमें से 26.51 करोड़ रुपए का उपयोग तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत उत्पादकता बढ़ाने और प्रजनन के लिए किया गया है। हालाँकि, चूंकि एनएलएम में पशुधन स्वास्थ्य को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इस योजना के तहत पशुधन स्वास्थ्य के लिए कोई निधियां जारी या उपयोग नहीं की गई हैं।

(घ), (ड़) और (च) पशुपालन राज्य का विषय है। केंद्र सरकार पशुपालन के विकास, टीकाकरण और चारा उत्पादन के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी) कार्यक्रम और अवसंरचना निधि जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू करती है।

टीकाकरण एनएलएम योजना के तहत कवर नहीं किया गया है, हालांकि, भारत सरकार पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएच एंड डीसी) के माध्यम से पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए टीकाकरण कार्यक्रमों को लागू करने में राज्य सरकारों की सहायता करती है।

एनएलएम योजना मांग-संचालित है, और केंद्र सरकार योजना के भीतर अनुमत कार्यकलापों के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

पशुपालन और डेयरी विभाग ने राज्य सरकार द्वारा चारा कार्य बल की स्थापना की सलाह दी है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य चारा खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना है, विशेष रूप से चारा विकास के लिए वन और बंजर भूमि क्षेत्रों की पहचान करना है। एनएलएम-ईडीपी के तहत, आहार और चारा (साइलेज सहित) से संबंधित परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही है। अब तक, राज्य में प्रति वर्ष 5000 मीट्रिक टन चारा उत्पादन क्षमता एनएलएम-ईडीपी के तहत स्वीकृत की गई है।
इसके कार्यान्वयन के बाद से, 8,68,744 किसानों को पशुधन बीमा के तहत लाभ हुआ है, जिसमें उनके पशुधन का बीमा करने के लिए प्रीमियम भुगतान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। एनएलएम-ईडीपी कार्यकलाप के तहत कुल 142 किसानों को लाभ हुआ है, जिसके लिए सब्सिडियां अनुमोदित की गई हैं।
पशुपालन और डेयरी विभाग ने राज्य सरकारों से पशुधन बीमा कवरेज बढ़ाकर अपने दुधारू पशुओं की आबादी के कम से कम 5% पशुओं का बीमा करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार वर्ष 2025-26 के लिए पशुधन बीमा और गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए संशोधित कार्य योजना प्रस्तुत करेंगी। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं को बढ़ावा देने और किसानों के लाभ के लिए उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सेमिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंस, राज्यों को सलाह और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों जैसी व्यापक जागरूकता पहलें की जाती हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के तहत जागरूकता और प्रचार के लिए राज्यों को 100% केंद्रीय सहायता के तहत निधि भी प्रदान किया जाता है।

******